

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2019/भाद्र 4, 1941

No. 485]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2019/BHADRA 4, 1941

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 23 अगस्त. 2019

सा.का.िन. 596(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए) समूह 'घ' अराजपित्रत, अनुसिचिवीय तथा अननुसिचिवीय पद भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में कर्मकार इकाई में बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का सिक्षप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), बहु कार्य कर्मचारिवृंद समूह 'ग' भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

4360 GI/2019 (1)

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में स्तर | चयन पद है अथवा अचयन पद। |
|------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 7 (0) | असमा (स) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| बहु कार्य कर्मचारिवृंद | 71* (2019) | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' | स्तर-1 | लागू नहीं होता |
| | *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | (अराजपत्रित, अननुसचिवीय) | | |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित | क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले |
|--|---|--|
| लिए आयु सीमा | शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं | व्यक्तियों के लिए विहित आयु और |
| | | शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के |
| | | मामले में लागू होंगी? |
| (6) | (7) | (8) |
| 18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार | (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक; अथवा समतुल्य | लागू नहीं होता. |
| द्वारा समय-समय पर जारी नियमों | अथवा | |
| के अनुसार शिथिलनीय है) | (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उत्तीर्ण | |

| परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो. | क्या भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा। |
|----------------------------------|--|---|
| (9) | (10) | (11) |
| दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में |
|---|-------------------------------------|
| | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श |
| | किया जाएगा। |
| (12) | (13) |
| समूह 'ग' पुष्टिकरण के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- | लागू नहीं होता |
| 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय के संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक | |
| प्रशिक्षण या विभागाध्यक्ष - अध्यक्ष | |

भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

| प्रशिक्षण महानिदेशालय के संबंधित यूनिट सचिवालय/महिला प्रशिक्षण के समूह 'क' अधिकारी | – सदस्य | |
|--|---------|--|
| प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय | - सदस्य | |

[फा. सं. डीजीटी-ए-12017/01/2017 डब्ल्यूटी पार्ट-(1)]

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक/अपर सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2019

- **G.S.R. 596(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women), Group 'D' Non- Gazetted, Ministerial and Non-Ministerial Posts, Recruitment Rules, 1995, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the workmen's unit, in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, in the office of Directorate General of Training, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These Rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Multi Tasking Staff, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit and other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No Person -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said post:
 - Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rule.
- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or Non- selection post | Age limit for direct recruit |
|---------------------|--|---|-------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Multi Tasking Staff | 71*(2019) *Subject to variation depending on workload. | General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted, Non- Ministerial). | Level– 1 | Not applicable | Between 18 and 25 years of age. (Relaxation as per Government of India rules issued from time to time). |

| Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | probation if any | Method of recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods |
|---|---|------------------|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| (i) Matriculation from the recognised Board; or equivalent or (ii) Industrial Training Institute (ITI) pass. | Not applicable. | Two years. | Direct recruitment. |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation / absorption is to be made | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|--|---|--|
| (11) | (12) | (13) |
| Not applicable. | Group 'C', Departmental Promotion Committee for confirmation, consisting of:- (1) Joint Director of Training or Head of Department of the concerned Unit Secretariat, Directorate General of Training — Chairperson (2) Group 'A' Officer, concern unit secretariat/ Women Training, Directorate General of Training — Member (3) Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute, Women Training, Directorate General of Training — Member | Not applicable. |

[F. No. DGT-A-12017/01/2017-WT-Pt(I)]

RAJESH AGGARWAL, Director General/Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2019

सा.का.िन. 597(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए) समूह 'ग' अतकनीकी पद भर्ती नियम, 2008 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय में छात्रावास वार्डन के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), के छात्रावास वार्डन, समृह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स | चयन पद है अथवा अचयन | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|------------------|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------|---|
| | | | में स्तर | पद। | सीमा |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| छात्रावास वार्डन | 04* (2019) | साधारण केन्द्रीय सेवा | स्तर - 4 | लागू नहीं होता | 18 से 25 वर्ष के बीच |
| | *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा | समूह 'ग' (अराजपत्रित, अनुसचिवीय) | | | (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी |
| | सकता है | | | | नियमों के अनुसार शिथिलनीय है) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी? | की अवधि यदि कोई | भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|--|--|-----------------------|--|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; | आयुः नहीं | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी |
| (ii) प्रशासन, रोकड़ एवं लेखा कार्य अथवा किसी मान्यताप्राप्त | अर्हताः हाँ | | भर्ती द्वारा |
| शैक्षणिक संस्थानों या संगठनों के छात्रों के लिए छात्रावास के | | | |
| रख-रखाव का दो वर्ष का अनुभव; और | | | |
| (iii) केवल महिला अभ्यर्थी ही इस पद के लिए पात्र होंगी। | | | |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा। (11) | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। (12) | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|--|--|--|
| प्रो न्नतिः अवर श्रेणी लिपिक जिनकी कर्मचारी | समूह 'ग'विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर होगी:- | लागू नहीं होता |
| चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती की गयी हो, नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। टिप्पण (1) - केवल महिला अवर श्रेणी लिपिकों पर ही अखिल भारतीय आधार पर उनकी विरष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा। टिप्पण (2) - जहां प्रोन्नित के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके किनष्ठों पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके विरष्ठ (ठों) पर भी विचार किया जाएगा। परन्तु उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा इतनी कम न हो कि वह ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से भी अधिक कम या 2 वर्ष कम हो, जो भी कम हो तथा उन्होंने अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नित हेतु अपने किनष्ठों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | 1. प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की संबंधित यूनिट सचिवालय के संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण अथवा विभागाध्यक्ष – अध्यक्ष 2. समूह 'क' अधिकारी, संबंधित यूनिट सचिवालय/मिहला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय –सदस्य 3. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से इत्तर कोई समूह 'क' अधिकारी जो उसी शहर में तैनात हो – सदस्य 4. प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य | |

[फा. सं. डीजीटी-ए-12017/01/2017 डब्ल्यूटी पार्ट-(1)] राजेश अग्रवाल, महानिदेशक/अपर सचिव